२७/01/२3 पत्रावली पेश हुई

पत्रावली पेश हुई वकील की ओर से पेश ता.पत्र स.5 से 9 के के वकील की ओर से पेश ता.पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं अप्रार्थी O9R7 C.P.C का स्वीकार किया जाता है। एवं अप्रार्थी स. 5 से 9 की ओर से पेश जवाब ता.पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अप्रार्थी स. 3 एवं 11 से 26 की ओर से कोई उप. नहीं। अतः अप्रार्थी स. 3 एवं 11 से 26 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतः पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु दि. 01/2/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

01/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. अप्रार्थी स. 1 व 2 के वकील उप. तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपने पत्रांक/क्रमांक/भू.अ./2023/526 दि. 01.02.23 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की गई। जो पत्रावली में शा.मि. रहे। वकील वादी एवं वकील अप्रार्थी स. 1 व 2 की मूल ता.पत्र पर बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 02/02/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

CN 180/22

02/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. एवं वकील अप्रार्थी स. 1 व 2 उप. वादी का ता.पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज० काश्त० अधि० का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा.मि. किया गया।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 180/2022

1. कंवरीलाल पुत्र स्व0 श्री रतनलाल पाटनी जाति जैन निवासी आर0के0 हाऊस, यज्ञनारायण अस्पताल के सामने, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. रामा पुत्र गोपी जाति जाट निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. विश्राम पुत्र गोपी जाति जाट निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिाया शाखा मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. नाथू सिंह पुत्र स्व0 श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. रतनकंवर पत्नि स्व0 श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. रेखा कंवर पत्नि स्व0 श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. नाबालिग करण सिंह पुत्र स्व0 श्री मूल सिंह जाति राजपूत
9. नाबालिग किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री मूल सिंह जाति राजपूत

   अप्रार्थी सं0 8 व 9 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रेखा कंवर पत्नि स्व0 मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. गोपाल पुत्र मल्ला जाति जाट
12. छोटू पुत्र कल्याण जाति जाट
13. नाथू पुत्र मल्ला जाति जाट
14. मदन पुत्र मल्ला जाति जाट
15. नंदलाल जाट पुत्र जेठू जाति जाट
16. राजेन्द्र जाट पुत्र श्री जेठू जाति जाट
17. रामधन पुत्र भैरू जाति जाट
18. सुखपाल जाट पुत्र जेठू जाति जाट
19. सायर देवी पत्नि जेठू जाति जाट
20. सांवरमल जाट पुत्र जेठू जाति जाट
21. छोटू पुत्र कल्याण जाति जाट

    सर्व निवासी ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
22. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बान्दरसिन्दरी
23. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक सैकिण्ड शाखा मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ़
24. शाखा प्रबन्धक सिण्डीकेट बैंक शाखा मदनगंज किशनगढ़
25. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा
26. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ़

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 02/02/2023

उपस्थितः वकील श्री इन्द्रेश कुमार प्रार्थी अभिभाषक
श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर अप्रार्थी सं0 1 व 2

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 97 रकबा 2.4594 हैक्टेयर भूमि ग्राम खण्डाच भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 109 रकबा 1.3672 हैक्टेयर स्थित है तथा ख0नं0 109 के पश्चिम उत्तरी सींव से अप्रार्थी सं0 4 लगायत 9 की ख0नं0 107 रकबा 1.3591 हैक्टेयर स्थित है एवं ख0नं0 109 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 11 लगायत 14 की ख0नं0 784/115 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, ख0नं0 784/115 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 15 लगायत 20 की ख0नं0 785/115 स्थित है व ख0नं0 785/115 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 12 (जो हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 21 भी है) की ख0नं0 786/115 की भूमि रकबा 0.2023 हैक्टेयर स्थित है, इसके पश्चात् ख0नं0 120 सार्वजनिक आम रास्ता होकर सरकारी खाता सं0 1 में दर्ज है। प्रार्थी स्वयं की उपरोक्त भूमि ख0नं0 97 में अपने पूर्वाधिकारियों के समय से संलग्न नजरी नक्शे में चिन्हित अप्रार्थीगण की भूमि से आवागमन करता है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है तथा उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का एकमात्र निकटतम सुलभ एवं प्रचलित रास्ता है जो 15 फीट चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि ख0नं0 97 के पूर्व दिशा तक लम्बा है। प्रार्थी के सद्भाविक रूप से संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0नं0 120 गै0मु0 रास्ता के पश्चिम से पूर्व तक स्वयं की भूमि ख0नं0 97 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है। नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि पर आवागमन के लिये अन्य कोई प्रचलित अथवा निकटतम रास्ता नहीं है। वर्तमान युग में कृषि भी एक व्यवसायिक रूप का स्थान ग्रहण कर चुकी है एवं कृषि कार्य अधिकतम उपज लाभ प्राप्ति के लिये यान्त्रिक साधनों से किये जाते है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की तरमीम नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

से कई मर्तबा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 एवं अप्रार्थी सं0 4 से 7 तथा अप्रार्थी सं0 11 लगायत 21 के कर्मकार एवं प्रार्थी की भूमि पर आने वाले साधन यथा ट्रेक्टर, कृषि फसल कटाई समय संबंधित उपकरणों आदि को लेकर प्रार्थी अनुपस्थिति में विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी को स्वयं के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णि भूमि पर काश्त करने करवाने में कष्ट महसूस होता है। प्रार्थी के पास स्वयं की ख0नं0 97 पर आवागमन के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित प्रार्थना पत्र मानचित्र में संलग्न रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है वह ही एक मात्र निकटतम सुलभ रास्ता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में जो रास्ता मूलतः चाहा गया है वह उपरोक्त ख0नं0 107, 109, 784/115, 785/115 व 786/115 के सींव सींव से चाहा जा रहा है जिसमें अप्रार्थी की काश्त की भूमि खराब नहीं होगी उन्हे उपरोक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगूनी राशि प्राप्त होगी वर्तमान में उपरोक्त भूमि बैंक के पास बंधक है इस कारण उन्हे भी फॉरमल पक्षकार बनाया गया है ताकि भविष्य में बैंक के हित भी सुरक्षित रहे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में लाल रंग से चिन्हित अप्रार्थी सं0 1 व 2 के ख0नं0 109 के उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी सं0 4 लगायत 9 के ख0नं0 107 के दक्षिण सींव पर पश्चिम से पूर्व तक तथा अप्रार्थी सं0 11 लगायत 14 के ख0नं0 784/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक तथा अप्रार्थी सं0 15 लगायत 20 के ख0नं0 785/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक एवं अप्रार्थी सं0 21 (जो अप्रार्थी सं0 12 भी है) के ख0नं0 786/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक रास्ते हेतु भूमि के बाबत् आदेश पारित कर उक्त रास्ता राजस्व ट्रेस में चिन्हित कर आवागमन के लिए रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 3 लगायत 9 व 11 लगायत 26 के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर द्वारा अप्रार्थी सं0 10 पैरोकार सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि जवाबकर्ता की भूमि ख0नं0 109 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 97 से लगवा है एवं प्रार्थी उपरोक्त भूमि में जवाबकर्ता की भूमि ख0नं0 109 से ही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

आवागमन करता है। अप्रार्थी सं0 3 लगायत 9 की भूमि ख0नं0 107 ग्राम खण्डाच के सार्वजनिक रास्ते ख0नं0 120 से सटी हुयी है तथा प्रार्थी ने स्वयं की भूमि ख0नं0 97 के आवागमन बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि ख0नं0 109 एवं अप्रार्थी सं0 3 से 9 की भूमि ख0नं0 107 के बाबत् जो वाद अनुसंलग्न मानचित्र प्रस्तुत किया है वह प्रार्थी के भूमि में आवागमन के लिए एकमात्र लघुत्तम, निकटतम रास्ता है। उत्तरकर्ता की ख0नं0 109 में से जो रास्ता चाहा गया है यदि उक्त रास्ते को राजस्व ट्रेस में तरमीम किया जाता है तो अप्रार्थी उत्तरकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। यदि उपरोक्त रास्ता राजस्व ट्रेस में गै0मु0 रास्ते के बाबत् आवागमन के लिये दर्ज किया जाता है तो उससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी उत्तरकर्ता सहित अन्य को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

3.2 अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा दिनांक 01.02.2023 को बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम खण्डाच में खातेदारी भूमि ख0नं0 97 में आवागमन हेतु ख0नं0 786/115 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि, ख0नं0 785/115 रकबा 0.2346 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0050 हैक्टेयर भूमि, ख0नं0 107 रकबा 1.3591 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0338 हैक्टेयर भूमि, ख0नं0 109 रकबा 1.3672 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0427 हैक्टेयर भूमि एवं ख0नं0 784/115 रकबा 0.4207 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0110 हैक्टेयर भूमि आवागमन हेतु प्रभावित है। उपरोक्त भूमि की वर्तमान राजस्व डी0ए0सी0 दर सिंचित 601302/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। आवेदित भूमि में आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड मे रेकार्डेड रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है। जिसका नजरी मानचित्र हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार है :–

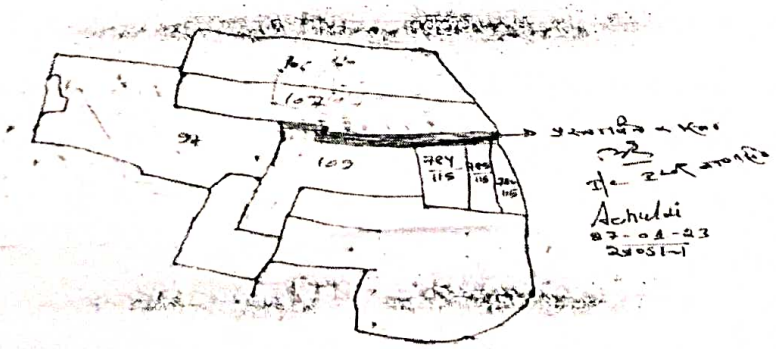

Achulai
27-01-23
खण्डाच

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपने अधिकार, खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 97 रकबा 2.4594 हैक्टेयर भूमि में अपने पूर्वाधिकारियों के समय से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में चिन्हित अप्रार्थीगण की भूमि से आवागमन करता है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है तथा उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का एकमात्र निकटतम सुलभ एवं प्रचलित रास्ता है जो 15 फीट चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि ख0नं0 97 के पूर्व दिशा तक लम्बा है। प्रार्थी के सद्भाविक रूप से संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0नं0 120 गै0मु0 रास्ता के पश्चिम से पूर्व तक स्वयं की भूमि ख0नं0 97 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है। नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि पर आवागमन के लिये अन्य कोई प्रचलित अथवा निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की तरमीम नहीं होने से कई मर्तबा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 एवं अप्रार्थी सं0 4 से 7 तथा अप्रार्थी सं0 11 लगायत 21 के कर्मकार एवं प्रार्थी की भूमि पर आने वाले साधन यथा ट्रेक्टर, कृषि फसल कटाई समय संबंधित उपकरणों आदि को लेकर प्रार्थी अनुपस्थिति में विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी को स्वयं के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णि भूमि पर काश्त करने करवाने में कष्ट महसूस होता है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है वह ही एक मात्र निकटतम सुलभ रास्ता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में जो रास्ता मूलतः चाहा गया है वह उपरोक्त ख0नं0 107, 109, 784/115, 785/115 व 786/115 के सींव सींव से चाहा जा रहा है जिसमें अप्रार्थी की काश्त की भूमि खराब नहीं होगी उन्हे उपरोक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगूनी राशि प्राप्त होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में लाल रंग से चिन्हित अप्रार्थी सं0 1 व 2 के ख0नं0 109 के उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी सं0 4 लगायत 9 के ख0नं0 107 के दक्षिण सींव पर पश्चिम से पूर्व तक तथा अप्रार्थी सं0 11 लगायत 14 के ख0नं0 784/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक तथा अप्रार्थी सं0 15 लगायत 20 के ख0नं0 785/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक एवं अप्रार्थी सं0 21 (जो अप्रार्थी सं0 12 भी है) के ख0नं0 786/115 के उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व तक रास्ते हेतु भूमि के बाबत् आदेश पारित कर उक्त रास्ता राजस्व ट्रेस में चिन्हित कर आवागमन के लिए रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 97 में अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि ख0नं0 109 से ही आवागमन करता है। अप्रार्थी सं0 3 लगायत 9 की भूमि ख0नं0 107 ग्राम खण्डाच के सार्वजनिक रास्ते ख0नं0 120 से सटी हुयी है तथा प्रार्थी ने स्वयं की भूमि ख0नं0 97 के आवागमन बाबत् अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि ख0नं0 109 एवं अप्रार्थी सं0 3 से 9 की भूमि ख0नं0 107 के बाबत् जो वाद अनुसंलग्न मानचित्र प्रस्तुत किया है वह प्रार्थी के भूमि में आवागमन के लिए एकमात्र लघुत्तम, निकटतम रास्ता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ख0नं0 109 में से जो रास्ता चाहा गया है यदि उक्त रास्ते को राजस्व ट्रेस में तरमीम किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। यदि उपरोक्त रास्ता राजस्व ट्रेस में गै0मु0 रास्ते के बाबत् आवागमन के लिये दर्ज किया जाता है तो उससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 सहित अन्य को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की ग्राम खण्डाच स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 97 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 97 में आवागमन ख0नं0 786/115, ख0नं0 785/115, ख0नं0 107, ख0नं0 109 एवं ख0नं0 784/115 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम खण्डाच स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों ख0नं0 786/115, ख0नं0 785/115, ख0नं0 107, ख0नं0 109 एवं ख0नं0 784/115 में से ही प्रार्थी का वर्तमान में आवागमन है एवं प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं 21 की भूमि ख0नं0 786/115 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी सं0 15 लगायत 20 की भूमि ख0नं0 785/115 रकबा 0.2346 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0050 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी सं0 4 लगायत 9 की भूमि ख0नं0 107 रकबा 1.3591 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0338 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि ख0नं0 109 रकबा 1.3672 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0427 हैक्टेयर भूमि एवं अप्रार्थी सं0 11 लगायत 14 की भूमि ख0नं0 784/115 रकबा 0.4207 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0110 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 601302/– रू0 प्रति हैक्टेयर के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अनुसार ख0नं0 786/115 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 1203/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 2406/– रू0, ख0नं0 785/115 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0050 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 3007/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 6014/– रू0, ख0नं0 107 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0338 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 20324/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 40648/– रू0, ख0नं0 109 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0427 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 25676/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 51352/– रू0 एवं ख0नं0 784/115 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0110 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 6615/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 13230/– रू0 होती है, जो प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित खसरा नम्बर के खातेदार को जरिये बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि कुल रकबा 0.0945 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 113650/– रू0 अक्षरे एक लाख तैरह हजार छः सौ पच्चास रूपये अप्रार्थी को जरिये बैंक ड्राफ्ट तैयार कर भुगतान हेतु जरिये रजिस्टर्ड पोस्टल प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आदेशानुसार राशि अप्रार्थीगण को भुगतान करने के पश्चात् तहसीलदार किशनगढ़ को उनकी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2023/426 दिनांक 01.02.2023 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0945 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु आदेश दिये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02/02/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)